मौजा :- कामगारपुर
परगना :- नजीबाबाद
मण्डल :- ओ०सं० लि०
13/06/2023

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :मुरादाबाद,जनपद :बिजनौर,तहसील :नजीबाबाद
वाद संख्या :-1659/2023
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202313160501659
ए०डी० फार्म कामगारपुर देवारा पार्टनर श्रीमति अनीता मारवा आदि बनाम उ०प्र० सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

—:निर्णय:—

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही आवेदक ए0डी0 फार्म कामगारपुर द्वारा पार्टनर श्रीमति अनीता मारवा पत्नी संजय मारवा निवासी 131 बलकेश्वर कालोनी हरिद्वार श्री दर्शन कमार पुत्र स्व0 रामधारी सिंगला निवासी 109 सेक्टर 21 पंचकूला हरियाणा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 12–04–2023 पर तहसीलदार नजीबाबाद की जांच आख्या दिनांक 17–04–2023 के आधार पर प्रारम्भ हुई। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया।

तहसीलदार नजीबाबाद की जांच आख्या दिनांक 17–04–2023 में बिन्दुवार उल्लेख किया गया है, कि ग्राम कामगारपुर परगना व तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर की खतौनी 1430 से 1435 फसली में स्थित आराजी खाता सं0 98 गाटा सं0 602 रकबा 0.043हे0, गाटा सं0 603 रकबा 0.307हे0, गाटा सं0 604 रकबा 0.307हे0, गाटा सं0 605 रकबा 0.307हे0, गाटा सं0 606 रकबा 0.307हे0 कुल 5 खेत कुल रकबा 1.271हे0 लगान 21.79रू0 पूर्ण भाग का संक्रमणीय भूमिधर है तथा आवदेक ने अपनी उपरोक्त भूमि को व्यवसायिक कार्य में प्रयोग करने के लिए अकृषिक भूमि घोषित कराने की प्रार्थना की है, मौके पर बिल्डिंग बनी है एंव व्यवसायिक कार्य के प्रयोग में आयेगी। अतः इस भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 80(2) के तहत अकृषिक भूमि घोषित करने की प्रार्थना की है। उक्त वर्णित भूमि नजूल भूमि नहीं है। उक्त वार्णित भूमि का मौके का नजरी नक्शा बाबत खसरा नं0 602, 603, 604, 605, 606 साथ में संलग्न है। उक्त वर्णित भूमि सहखातेदारी में अंकित नही है। उक्त वर्णित भूमि कृषि, उद्यानीकरण, मत्स्यपालन, पशुपालन, कुक्कुट पालन आदि के प्रयोग में नहीं हो रही है। जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय से जारी सर्किल रेट सूची के अनुसार रकबा 1.271 हे0, जो सामान्य भूमि है, की मालियत आगिणत धनराशि रू0 26–00 लाख रू0 प्रति हे0 की दर से 33,04,600/– होती है जिसका 1 प्रतिशत रू0 33,046–00रू0 होती है तथा पूर्णांक देय राजकीय कोष में दिनांक 18.05.2023 को चालान सं0 1203/01/ई0आई0–00034 के माध्यम से स्टेट बैंक नजीबाबाद में जमा किया गया है तथा न्यायिक शुल्क स्टाम्प 33,100–00रू0 जमा किये गये। जिसका कमांक UPCT1803E2320L443 सलग्नं है। आवेदक ने अपनी कुल भूमि 1.271हे0 आराजी को व्यवसायिक कार्य मे प्रयोग करने के लिए अकृषिक कराने का अनुरोध किया है। आवेदक की आराजी को अकृषिक घोषित करने से लोकशान्ति व लोक स्वास्थ पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पडेगा। आवदेक की आराजी में मौके पर बिल्डिंग बनी है एंव व्यवसायिक कार्य के प्रयोग में आयेगी। आवदेक की भूमि का फोटो व हस्ताक्षरयुक्त हलफनामा संलग्न है कि मौके पर बिल्डिंग बनी है एंव व्यवसायिक कार्य के प्रयोग में आयेगी। आवेदक की धारा 80(2) हेतु प्रस्तावित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग मार्ग/प्रान्तीय मार्ग पर स्थित नही है तथा प्रस्तावित भूमि का भूमि अधिग्रहण से कोई सम्बन्ध नही है, आवेदक द्वारा अपने शपथ पत्र/लिखित बयान में भी यह तथ्य स्वीकार किया गया है। आवदेक की धारा 80(2) हेतु प्रस्तावित भूमि गाटा सं0 602, 603, 604, 605, 606 के अन्तर्गत चकमार्ग

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :मुरादाबाद,जनपद :बिजनौर,तहसील :नजीबाबाद
वाद संख्या :-1659/2023
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202313160501659
ए०डी० फार्म क़ामगारपुर द्वारा पार्टनर श्रीमति अनीता मारवा आदि बनाम उ०प्र० सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

भूमि, ग्राम सभा भूमि, अन्य सरकारी प्रयोजनों हेतु आरक्षित भूमि को आच्छादित नही किया गया है। उक्त आराजी धारा–77 उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 के अन्तर्गत नही आती है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि को उ0प्र0राजस्व संहिता, 2006 की धारा 80(2) के नियम 85 के प्रस्तर–2 मे दी गयी व्यवस्था के अनुसार अकृषिक घोषणा किये जाने में कोई विधिक बाधा नही है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार नजीबाबाद की आख्या दिनांक 17–04–2023 स्वीकार की जाती है। आवेदक ए0डी0 फार्म कामगारपुर द्वारा पार्टनर श्रीमति अनीता मारवा पत्नी संजय मारवा निवासी 131 बलकेश्वर कालोनी हरिद्वार श्री दर्शन कमार पुत्र स्व0 रामधारी सिंगला निवासी 109 सेक्टर 21 पंचकूला हरियाणा के आराजी मौजा कामगारपुर परगना व तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर की खतौनी 1430 से 1435 फसली में स्थित आराजी खाता सं0 98 गाटा सं0 602 रकबा 0.043हे0, गाटा सं0 603 रकबा 0.307हे0, गाटा सं0 604 रकबा 0.307हे0, गाटा सं0 605 रकबा 0.307हे0, गाटा सं0 606 रकबा 0.307हे0 कुल 5 खेत कुल रकबा 1.271हे0 लगान 21.79रू0 पूर्ण भाग को उ0प्र0रा0 संहिता 2006 की धारा 80(2) में उल्लिखित शर्तो के अधीन अकृषिक प्रयोग हेतु घोषित किया जाता है। भविष्य में यदि कोई विपरीत/प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो यह आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा तथा उक्त वर्णित स्थित मौजा कामगारपुर की खतौनी 1430 से 1435 फसली में स्थित आराजी खाता सं0 98 गाटा सं0 602 रकबा 0.043हे0, गाटा सं0 603 रकबा 0.307हे0, गाटा सं0 604 रकबा 0.307हे0, गाटा सं0 605 रकबा 0.307हे0, गाटा सं0 606 रकबा 0.307हे0 कुल 5 खेत कुल रकबा 1.271हे0 लगान 21.79रू0 पूर्ण भाग पर कोई भी निर्माण कार्य विनियमति क्षेत्र/नगर पचांयत/जिला पंचायत/नगर पालिका के सगत नियम के अनुसार अनुमन्य है। विनियमति क्षेत्र/नगर पचांयत/जिला पंचायत/नगर पालिका में निर्दिश्ट भू–उपयोग के विरूद्व किया गया कोई भी निर्माण कार्य विधि विरूद्व होगा। जिसे नियमानुसार ध्वस्त करने का पूर्ण अधिकार विनियमति क्षेत्र/नगर पचांयत/जिला पंचायत/नगर पालिका को प्राप्त होगा। तहसीलदार नजीबाबाद आख्या दि0 17–04–2023 आदेश का अभिन्न भाग होगी। आदेश की एक प्रति तहसीलदार नजीबाबाद को इस आशय से प्रेषित की जाये, कि वह उक्त आदेश का अमलदरामद कराना सुनिश्चित करें तथा एक प्रति उपनिबन्धक नजीबाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इसे अभिलेखो मे निःशुल्क अंकित करे। वाद पत्रावली दाखिल दफतर की जायें।

दिनांक:–19–06–2023

(विजय वर्धन तोमर)
उपजिलाधिकारी, नजीबाबाद

पृष्ठ संख्या :